



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श०)

(सं० पटना 454) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
4 अगस्त 2020

सं० 09/सी०बी०आई०-80-09/2020-गृ०आ०-5101—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 (1946 का अधिनियम-25) की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राजीव नगर (जिला-पटना), थाना कांड संख्या-241/2020, दिनांक 25.07.2020, धारा-341/342/380/406/420/306/506/120(बी) भा०द०वि०, जो बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित है, के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य एवं मामले से जुड़े अन्य स्थानों में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

The 4th August 2020

No.9/C.B.I-80-09/2020 HP-5101--In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar and other places related to the Case to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate/supervise and inquire into the Rajiv Nagar (District-Patna) P.S. Case No-241/2020, Dated-25-07-2020, Section-341/342/380/406/420/306/506/120(B) I.P.C. which are related to Death of Bollywood Actor Shushant Singh Rajput.

By order of the Governor of Bihar,
Sunil Kumar,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 454-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>